उत्तर प्रदेश शासन

सहकारिता अनुभाग-2

संख्या-1/2015/828/49-2-2015-30(27)/2013

लखनऊ: दिनांक 19 जून, 2015

कार्यालय आदेश

लोक सेवा आयोग उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा उ0प्र0 सहकारी सेवा के सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक के पदों पर चयन हेतु दिनांक 29-05-2015 को आयोजित चयन समिति की बैठक की संस्तुतियों के आधार पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित सहकारी निरीक्षक वर्ग-1/अपर जिला सहकारी अधिकारियों को सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता के पद पर वेतनमान रू0 15600-39100 ग्रेड वेतन रू0 5400/- में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित पदोन्नति प्रदान करते हुए अग्रिम आदेशों तक वर्तमान तैनाती के स्थान पर तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्रमांक	ज्येष्टता क्र0	नाम
		सर्वश्री:-
1	1373	अशोक कुमार उपाध्याय
2	1424	कैलाश प्रसाद शुक्ला
3	1445	अजीत कुमार सिंह
4	1455	राघवेन्द्र सिंह
5	1456	अजय पालीवाल
6	1463	लालता प्रसाद द्विवेदी
7	1464	जहांगीर खां
8	1467	राम नयन सिंह
9	1471	यशवन्त सिंह

2- उ0प्र0 सहकारी सेवा नियमावली-1979 के नियम-22 के अनुसार उक्त अधिकारियों को 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

3- सम्बन्धित अधिकारीगण तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेगें।

शैलेश कृष्ण

प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-1/2015/828(1)/49-2-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0।

.....2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- अनु सचिव,लोक सेवा आयोग उ0प्र0, इलाहाबाद।
4- जिलाधिकारी, फिरोजाबाद, अमेठी, देवरिया, सीतापुर, आगरा, बरेली, आजमगढ़, उन्नाव उ0प्र0।
5- मुख्य विकास अधिकारी, फिरोजाबाद, अमेठी, देवरिया, सीतापुर, आगरा, बरेली, आजमगढ़, उन्नाव उ0प्र0।
6- उपायुक्त एवं उप निबन्धक, सहकारिता आगरा, फैजाबाद, गोरखपुर, लखनऊ बरेली एवं आजमगढ़।
7- अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक, (प्रशासन), सहकारिता, उ0प्र0 लखनऊ।
8- सम्बन्धित अधिकारीगण।
9- निजी सचिव, मा0 सहकारिता मंत्री, उ0प्र0।
10- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शासन।
11- सूचनाधिकारी, मा0 सहकारिता मंत्री उ0प्र0।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

एस0पी0 शुक्ल
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।